भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 864
जिसका उत्तर शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024 को दिया जाना है

विधानमंडल में महिला आरक्षण

864. श्री मड्डीला गुरुमूर्ति :

डॉ. गुम्मा तनुजा रानी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण भारत में विद्यमान प्रधान पति प्रथा के बारे में जानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन के पश्चात् संघ और राज्य विधानमंडलों में ऐसी प्रथा की पुनरावृत्ति न हो. यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : जी, नहीं ।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

****